प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-25.09.2024

थाना सकलडीहा पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक के साथ छिनैती की घटना को अंजाम देने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया व 02 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तार/पुलिस अभिरक्षा में लिये गये अभियुक्तों के कब्जे से 1,91,000/- रूपये व 01 अवैध तमंचा व कारतूस किया गया बरामद-

थाना सकलडीहा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 157/2024 धारा 309(4) बीएनएस से अभियुक्तगण 1.सुहेल खान पुत्र स्व0 साहब अली 2.अमित यादव पुत्र राम अवध यादव निवासीगण ग्राम नोनार तुलसी आश्रम थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली व 02 बाल अपचारियों को आज दिनांक 25.09.2024 समय 04.40 बजे सुबह प्राथमिक विद्यालय व मन्दिर ग्राम फुल्ली के बीच से अभियुक्तगण को गिरफ्तार एंव बाल अपचारीगण को पुलिस अभिरक्षा में लेकर विधिक कार्यवाही प्रचलित है। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार धारा 310(2),317(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

पूर्व की घटना-

दिनांक 21.9.2024 को थाना सकलडीहा अंतर्गत सुनील कुमार पुत्र रामजतन प्रजापति निवासी ग्राम फल्ली थाना सकलडीहा जनपद चंदौली अपने मित्र सेवालाल के साथ यूनियन बैंक पौनी से चार लाख रूपए निकालकर अपने ग्राहक सेवा केंद्र तुलसी आश्रम लोनार लेकर जा रहे थे। उसी समय विपरीत दिशा से बाइक से आ रहे तीन व्यक्ति थाना सकलडीहा अन्तर्गत नागनपुर नहर के पास सुनील कुमार का पैसो वाला बैग छीनकर 02 व्यक्ति बाइक से व 01 व्यक्ति पैदल भाग गए थे।

नाम व पता अभियुक्तगण/बाल अपचारीगण

1.सुहेल खान पुत्र स्व0 साहब अली उम्र 20 वर्ष

2.अमित यादव पुत्र राम अवध यादव उम्र 20 वर्ष निवासीगण ग्राम नोनार तुलसी आश्रम थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

3- 02 बाल अपचारी

बरामदगी का विवरण-

1.छिनैती का 1,91,000/- रुपया नगद बरामद तथा अभियुक्तगण के खाते में जमा किया गया 45,000/- रुपया होल्ड कराया गया।

2.घटना में प्रयुक्त दो मोटर सायकिल (बजाज पल्सर रंग काला वाहन संख्या UP67AL 5201 व हीरो HF DELUXE रंग लाल काला वाहन संख्या UP67 AE 0886)

3.घटना में प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर,

4.पाँच मोबाइल फोन।

2-थाना सकलडीहा पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त को अवैध तमंचा के साथ किया गया गिरफ्तार-

थाना सकलडीहा पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खोर हरिजन बस्ती मे एक व्यक्ति नाजायज तमन्चा के साथ मौजूद है ग्रामवासी उसे घेर कर रोकें है, यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है और उसके पास से तमन्चा बरामद हो सकता है। उक्त सूचना पर चौकी प्रभारी डेढावल उ0नि0 सुरेश प्रकाश सिंह मय हमराह कर्म0गण के ग्राम खोर बस्ती पहुचें जैसे ही पुलिस बल ग्राम खोर हरिजन बस्ती की गली से आगे बढ़े तो देखें कि उक्त गली मे काफी भीड इकठ्टा है और एक व्यक्ति को घेरे है पुलिस वाले भीड़ में उस व्यक्ति के पास पहुँचकर नाम पता पुँछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम मनीश उर्फ विट्टू सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम खोर थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली बताया जिसकी जामा तलाशी से एक अवैध तमन्चा 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी एंव गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-158/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्त-

मनीश उर्फ विट्टू सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम खोर थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली उम्र करीब 32 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0-158/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सकलडीहा जनपद चंदौली

विवरण बरामदगी-

एक अवैध तमंचा 315 बोर बरामद

थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा गोवंशों की तस्करी में संलिप्त वांछित गोतस्कर को किया गया गिरफ्तार-

थाना अलीनगर पुलिस टीम ने मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर थाना अलीनगर पर पंजीकृत मु.अ.सँ. 243/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विकाश कुमार पुत्र किशुन राम निवासी जिगना थाना चाँद जनपद भभुआ बिहार को पचफेड़वा अण्डर पास थाना अलीनगर क्षेत्र जनपद चन्दौली से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण–

विकाश कुमार पुत्र किशुन राम निवासी जिगना थाना चाँद जनपद भभुआ बिहार उम्र 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त–

मु.अ.सं. 243/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

मा0 न्यायालय द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 4000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 04 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी –

1-दिनांक 17.07.1998 को धारा 26,41,42,52,भा0 वन अधि0 व 379,411 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.शिव नारायण पुत्र रामजग चौहान निवासी रेवसा (माटीगांव) थाना व जिला चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 99/1998 धारा 26,41,42,52, भा0 वन अधि0 व 379,411 भादवि थाना चकिया में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व 1. श्री विपिन बिहारी यादव (पीओ) व थाना चकिया के पैरोकार आरक्षी दुर्गेश कुमार यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-25.09.2024 को पीठासीन अधिकारी श्री कुंवर जितेन्द्र प्रताप सिंह (न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.शिव नारायण पुत्र रामजग चौहान निवासी रेवसा (माटीगांव) थाना व जिला चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 4000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 04 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।